संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–9/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक
स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर संभाग
भोपाल मध्यप्रदेश।

विषयः– केवियेट दायर किये जाने बाबत्।

–0–

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन क्रमशः बैतूल एवं भिण्ड जिले में किये गये अनियमित नियमितिकरण आदेशो को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विभाग द्वारा लिये गये उक्त निर्णय एवं पारित आदेश के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर, ग्वालियर में यदि किसी भी कर्मचारी/आवेदक के द्वारा याचिका प्रस्तुत की जाती है तो शासन का पक्ष सुनने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर, एवं ग्वालियर, में विभाग की और से केविएट दायर करने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें, एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–9/2018/609 - M भोपाल, दिनांक 18.06.2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. महाधिवक्ता, शासकीय महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश की और सूचनार्थ।
4. शासकीय, अतिरिक्त महाधिवक्ता, खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर कार्यालय मध्यप्रदेश की और सूचनार्थ।
5. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त / संचालक (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय।
6. प्रभारी एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।

18.6.18
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-9/2018/599- M भोपाल, दिनांक 13.06.2018

विज्ञप्ति

विषयांतर्गत ''लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग'' के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र, भोपाल दिनांक 06 जनवरी 2003 को प्रकाशित ''मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2002 के तहत् नियुक्त संविदा कर्मचारियों की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल एवं भिण्ड द्वारा किये गये नियमितिकरण संबंधी प्रकरणों की जांच उपरांत पाया गया कि ''मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2002 के बिन्दु क्रमांक 10(10) में प्रावधानित है कि- ''संविदा कर्मचारी शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिए हकदार नही होगा'' इसके उपरांत भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल एवं जिला भिण्ड द्वारा संविदा कर्मियों को नियमितिकरण का लाभ प्रदान किया गया।

विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किये गये नियमितिकरण आदेशों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त नियमितिकरण निरस्ती आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर, ग्वालियर में यदि किसी भी कर्मचारी/आवेदक के द्वारा याचिका प्रस्तुत की जाती है तो शासन का पक्ष सुनने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में केवियेट प्रस्तुत की जा रही है।

(विवेक श्रोत्रिय) अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

जी-14601/18

महिला हैल्प लाईन 1090/MPeCOP मोबाईल एप/डायल 100

पत्रिका Sun, 17 June 2018
epaper.patrika.com/c/296147